न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28 / 2017 नामान्तरकरण अपील

1. प्रभू पुत्र हरिराम जाति बैरवा निवासी पण्डितपुरा पंचमुखी तहसील बसवा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भू.अ.) तहसील बसवा जिला दौसा
2. कमल पुत्र रामहेत जाति बैरवा निवासी चीमापुरा तहसील बसवा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 740 दिनांक 13.06.2017 मातहत तहसीलदार तहसील बसवा

उपस्थिति :– 1. श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 02।
3. राजकीय अधिवक्ता उप0।

–:निर्णय:–

दिनांक 7 .12.2017

संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बसवा ने न्याय आपके द्वार शिविर केशरीसिंहपुरा में रेस्पोडेन्ट नं. 02 से मिलकर ग्राम पंचायत पण्डितपुरा तहसील बसवा में स्थित कृषि भूमि खेवट खतौनी सं. पुरानी 292 नई 333 जिसके खसरा नं0 1040 रकबा 0.29 है0 खसरा न.0 1041 रकबा 0.37 है0 कुल किता 2 रकबा 0.66 है0 भूमि का नामान्तरकरण सं. 740 दिनांक 13.06.2017 को शिविर की आड लेकर खोल दिया। तहसीलदार द्वारा खोले गये फर्जी नामान्तरकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं. 02 दिनांक 18.07.2017 को अपीलान्ट की कब्जेशुदा भूमि ख. नं0. 1040, 1041 पर 10–15 आदमियों

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

को लेकर नाजायत तौर पर अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा करने के लिए मौके पर आ गया और कहने लगा की इस भूमि को मैने तेरे भाई रामरतन से खरीद लिया है और दिनांक 13.06.2017 को न्याय आपके द्वार शिविर केशरीसिंहपुरा में नामान्तरकरण भी खुलवा लिया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण सं. 740 दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पो0 की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रश्नगत खसरा नं. 1040, 1041 पैतृक भूमियां है जिसका तकास्मा नही हुआ है। तकास्मा के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में मुकदमा विचाराधीन है। बिना तकास्मा उक्त पैतृक भूमि में से विशेष भू–भाग का विक्रय नही किया जा सकता है। उक्त खसरा नं0 1040, 1041 कुल भूमि 0.66 है0 है, जिसका 1/16 भाग विक्रय किया गया है। जो 1000 वर्गमीटर से कम है जिसका नामान्तरकरण नही हो सकता है। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई का मौके की यथास्थिति का आदेश भी प्रभावी है एवं प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 740 दिनांक 13.06.2017 वाके ग्राम पण्डितपुरा तहसील बसवा को निरस्त फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 02 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 740 दिनांक 13.06.2017 न्याय आपके द्वार अभियान में बाद जांच ही खोला गया है। उक्त नामान्तरकरण खुलने से अपीलान्ट के कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है। तत्समय स्थगन भी प्रभावी नही था। विक्रीत हिस्सा मेरे स्वयं के हिस्से का था। वाहमी बटवारा हो रखा था। अतः अपील अपीलान्ट मय हर्जा खारिज की जावे।

हमने अधिवक्तागण उभ्यपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि ख.न. 1040 रकबा 0.29 है0, ख.न. 1041 रकबा 0.37 है0

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

कुल किता 2 रकबा 0.66 है0 मे से रामरतन पि. हरिराम हिस्सा 1/4 द्वारा कमल पुत्र रामहेत जाति बैरवा निवासी चीमापुरा को हिस्सा 1/16 का विक्रय जरिये विक्रय पत्र किये जाने पर प्रश्नगत नामान्तरकरण स. 740 दिनांक 13.06.17 ग्राम पंडितपुरा तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने मे कोई विधिक त्रुटि नही पाये जाने से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 7 .12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा